बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रणा विभाग
---000---

ज्ञापांक 2538 / पटना-15 दिनांक :- 26/4/2002
3/वि2-103/2002

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता

सभी कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार ।

विषय:- अवैध नियुक्ति के फलस्वरूप कर्मचारियों की सेवा समाप्ती के संबंध में ।
---000---

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि विगत महिनों में क्षेत्रीयकार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में आप के द्वारा उपलब्ध कराई नियुक्ति सम्बन्धी सूचनाओं के आधार पर वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 5394 दिनांक 23-10-87 एवं कार्मिक विभाग के 5940 दिनांक 18-6-93 के अनुरुप नहीं रहने के कारण सेवा समाप्त कर दी गई है । साथ ही निदेशित किया गया है कि यदि उनकी सेवा इन संकल्प/ परिपत्रों के अनुरुप हो तो सभी साक्ष्यों की सत्यापित प्रति के साथ भेजें ।

इस संबंध में पुन: कहना है कि इस प्रकार की सेवा समाप्त व्यक्तियों के संबंध में किसी प्रकार की पूरक सूचना/ अभिलेख यदि हो तो या संबंधित व्यक्तियों द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत किया जाता है तो अविलम्ब जांच कर अपने मन्तव्य के साथ सत्यापित कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करावें ताकि साक्ष्य के आधार पर इस प्रकार के आवेदनों पर सही निर्णय हो सके ।

आपको ध्यान आकर्षित किया जाता है कि प्रासंगिक पत्र दिनांक 13-4-2002 से संबंधित व्यक्ति हटाये जा चुके हैं तथा उनको किसी तरह का वेतन/ दैनिक मजदूरी आदि पत्र निर्गत की तिथि से देय नहीं है । इस तिथि के पूर्व संबंधित व्यक्तियों को जो वेतन/ मजदूरी देय हो उसे समीक्षा कर विभाग को सौंपें ।

(हस्ताक्षर)
(भी० एन० यादव)
मुख्य अभियंता (यांत्रिक)

ज्ञापांक:- 2538 पटना-15 दिनांक:- 26/4/2002

प्रतिलिपि सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(हस्ताक्षर)
(भी० एन० यादव)
मुख्य अभियंता (यांत्रिक)

रामदीप/

(93)

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ।

ज्ञाप संख्या- 3/स्था02-1/3/2002-2537 पटना, दिनांक-26/4/2002

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता

सभी अधीक्षण अभियंता

सभी कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,

बिहार, पटना ।

विषय- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में अनियमित ढंग से की गई नियुक्ति एवं तदर्थ नियुक्तियों एवं दैनिक श्रमपुस्त पर रखे गये कर्मियों की सेवा समाप्त करने के संबंध में ।

निदेशानुसार, विभागीय पत्रांक- 154 दिनांक-4-4-89 द्वारा वर्ग-3 एवं 4 की नियमित स्थापना/ कार्यभारित स्थापना/ दैनिक श्रमपुस्त तथा हस्तपुस्त तथा सभी अनियमित नियुक्तियों पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाते हुए स्पष्ट निदेश दिया गया था कि दिनांक-1-1-88 के बाद की गई ऐसी नियुक्तियों को रद्द किया जाय । इस पत्र में यह भी चेतावनी थी कि ऐसी नियुक्ति करने वाले तथा निकासी पदाधिकारियों से इन नियुक्तियों के फलस्वरूप कोषागार से निकाली गई राशि की वसूली की जायेगी ।

2- पुनः वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या 8954 दिनांक-23-7-75, ज्ञाप संख्या-3058 दिनांक-22-10-84, संकल्प संख्या 6394 दिनांक- 23-10-87 एवं संकल्प 5074 दिनांक- 20-9-90 की पुर्नसमीक्षा की गई तदनुसार-

(क) दिनांक-1-8-85 के बाद नियुक्त सभी दैनिक श्रमपुस्त, हस्तपुस्त की नियुक्तियाँ रद्द कर दी जाय ।

(ख) जिनकी नियुक्ति 22-10-79 के पश्चात् कार्यभारित स्थापना में की गई है उनको कार्यभारित स्थापना में नियुक्त करने की शक्ति नियुक्ति पदाधिकारी को प्रदत्त नहीं थी । तत्काल कार्यभारित स्थापना में उक्त तिथि के बाद की गई नियुक्ति अनियमित है। परन्तु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-5940 दिनांक-10-6-93 के तहत जिन व्यक्तियों को दिनांक-1-8-85 के पूर्व कम से कम 240 दिन लगातार दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत रखा गया है उन्हें हटाना नहीं बल्कि नियमित पद की उपलब्धि पर उन्हें उन पदों के विरूद्ध नियुक्ति में अधिमानता देना है। उपरोक्त दर्शाये गये संकल्पों का अनुषांगिक लाभ इन्हें देय होगा। इस परिस्थिति में पूर्ण विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इन तिथियों के बीच कार्यभारित स्थापना में नियुक्त कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय ।

(ग) दिनांक- 1-8-85 के बाद सीधे नियुक्त कार्यभारित स्थापना में नियुक्त कर्मचारियों की नियुक्तियाँ रद्द कर दी जाय ।

(घ) दिनांक-22-10-79 के बाद कार्यभारित स्थापना में नियुक्त वैसे कर्मचारी जो दिनांक-1-8-85 के पूर्व विभाग में कार्यरत नहीं थे, की नियुक्तियाँ रद्द कर दी जाय ।

(ङ) इन तिथियों के बीच अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश/अन्तरिम आदेश एवं स्थगन आदेश से सेवा में बने रहने वाले कर्मचारियों को भी उनकी नियुक्ति संबंधी कागजातों की जांच के उद्देश्य से सेवा मुक्त कर दिया जाय ।

इन निर्णयों के अनुसार संबंधित आदेश आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों आधार पर मुख्यालय से निर्गत किये गये है, यदि आपके प्रमंडल में इन तिथियों के बीच के कोई भी कर्मचारी बचे रह गये हो तो उनका नाम, पिता का नाम, पदनाम, जन्म तिथि, दैनिक श्रमपुस्त में नियुक्ति की तिथि एवं कार्यभारित स्थापना में नियुक्ति की तिथि सहित अविलम्ब इस कार्यालय को अविलम्ब भेजें ताकि निर्णयानुसार आगे कार्रवाई की जा सके । किसी भी परिस्थिति में वित्त विभाग एवं आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के उक्त परिपत्रों के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों के लिए आप जिम्मेवार होंगे ।

(बी० एन० यादव)
मुख्य अभियंता (यांत्रिक)

ज्ञाप संख्या- 2537 पटना, दिनांक- 26/4/2002

प्रतिलिपि/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(बी० एन० यादव)
मुख्य अभियंता (यांत्रिक)

राज
22/4